

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2009

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय:-पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को एकमुश्त 15 प्रतिशत वृद्धि का लाभ स्वीकृत करने के संबंध में।
संदर्भ:-मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-4/2/2008/नियम/चार, दिनांक 19 सितम्बर 2008

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को दिनांक 01.09.08 से उनके मूलवेतन के एकमुश्त 20 प्रतिशत वृद्धि का लाभ स्वीकृत करने संबंधी आदेश जारी किये गये थे।

2. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त संदर्भित संवर्गों को दिनांक 01.04.09 (माह अप्रैल, 2009 का वेतन, जो माह मई, 2009 में देय है) से मूल वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त एकमुश्त वृद्धि स्वीकृत की जावे। इस राशि का भुगतान माह अप्रैल, 2009 के वेतन, जो माह मई, 2009 में देय है, के साथ किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(प्रभाकर बंसोड़)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/2009/164
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 19-5-09

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेश।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.